रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2015/श्रावण 30, 1937
No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2015/SHRAVANA 30, 1937

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2015

सं. 26/6/सीआई/2015.—13 अगस्त, 2015 के लोक सभा समाचार भाग- दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैराओं को एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता हैः-

"संख्या 2295

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नियमों में संशोधन 12 अगस्त, 2015 से प्रभावी होंगेः-

नए अध्याय 20क के अधीन नए नियम 233क, 233ख और नए नियम 316क, 316ख, 316ग, 316घ, 316ङ और 316च

अध्याय 20 में नियम 233 के पश्चात् नए अध्याय 20क के अधीन निम्नलिखित नए नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

अध्याय बीस क

आचार

आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया

233क (1) कोई भी व्यक्ति अथवा सदस्य लोक सभा के सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है।

बशर्ते यदि शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा की जाए तो इसे सदस्य द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।

(2) शिकायत लिखित में की जाएगी और अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी जो इसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु लोक सभा की आचार समिति के सभापति को अग्रेषित कर सकेगा/सकेगी।

(3) शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बतानी होगी और उसे अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित साक्ष्य, दस्तावेजी अथवा अन्यथा, प्रस्तुत करने होंगे ।

(4) शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है और यह सच्चाईपूर्वक की गई है। इस आशय का एक शपथ पत्र शिकायत के साथ संलग्न करना होगा।

यदि शिकायत किसी सदस्य द्वारा की जाती है, तो ऐसे सदस्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है और यह सच्चाईपूर्वक की गई है। सदस्य द्वारा शिकायत किए जाने की स्थिति में शपथ-पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(5) प्रत्येक शिकायत आदरपूर्ण और संयत भाषा में की जाएगी।

(6) प्रत्येक शिकायत हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में की जाएगी। यदि कोई शिकायत किसी अन्य भारतीय भाषा में की जाती है, तो इसके साथ उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करना होगा जिस पर शिकायतकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

(7) किसी व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत पर अध्यक्ष को शिकायत अग्रेषित करने वाले सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(8) यदि शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

(9) अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों पर आधारित शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) आचार समिति किसी न्यायाधीन मामले पर विचार नहीं करेगी और इन नियमों के प्रयोजनार्थ समिति का यह निर्णय कि यह मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं, अंतिम माना जाएगा।

आचार तथा अन्य दुराचरण के प्रश्न को समिति को प्रेषित करने संबंधी लोक सभा अध्यक्ष की शक्ति

233ख. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष लोक सभा में किसी सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण के संबंध में किसी प्रश्न को जांच, अन्वेषण और प्रतिवेदन हेतु आचार समिति को भेज सकता/सकती है।

नियम 316 के पश्चात्, नए शीर्षक "आचार समिति " के अंतर्गत निम्नलिखित नए नियम अंतर्विष्ट किए जाएंगेः-

आचार समिति

गठन

316क (1) एक आचार समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या 15 से अनधिक होगी।

(2) समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होगा।

कार्य

316ख समितिः-

(क) अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजी गयी लोक सभा के किसी सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह उचित समझे।

(ख) सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाएगी और समय-समय पर आचार संहिता में संशोधन किए जाने अथवा नए प्रावधान शामिल किए जाने संबंधी सुझाव देगी।

प्रक्रिया

316ग(1) समिति को प्रेषित किसी मामले की समिति द्वारा प्रारंभिक जांच की जाएगी।

(2) प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, तो वह यह सिफारिश कर सकेगी कि मामले को छोड़ दिया जाए और सभापति तदनुसार इसकी जानकारी अध्यक्ष को देगा/देगी।

(3) प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया मामला है, तो समिति मामले पर आगे जांच करेगी।

(4) समिति समय-समय पर उसे प्रेषित मामलों की जांच हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

प्रतिवेदन

316घ (1) समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे सभापटल पर रखने का निदेश दे सकेगा/सकेगी।

(3) समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख होना चाहिए।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार

316ङ (1) प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सभापति या समिति का कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए और इसके पश्चात अध्यक्ष इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रख सकेगा/सकेगी।

(2) प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखने से पहले अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकेगा/सकेगी जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर सहमति के पश्चात् सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, यथास्थिति, प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है अथवा असहमत है अथवा संशोधनों के साथ सहमत है ।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार हेतु प्राथमिकता

316 च. कार्य सूची में प्रश्नकाल के पश्चात् यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए **।**

अनूप मिश्र, महासचिव"

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi The 19th August, 2015

No. 26/6/CI/2015.—The following paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin Part-II dated 13th August, 2015 are hereby published for general information :-

"No. 2295

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifteenth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifteenth Edition), the following amendments approved by the Lok Sabha to the said Rules are hereby published. The amendments to the rules shall come into force with effect from 12 August, 2015 :-

New Rules 233A, 233B under new Chapter XXA and new rules 316A, 316B, 316C, 316D, 316E, and 316F

After rule 233 in Chapter XX, the following new rules under new Chapter XXA shall be inserted, namely :-

CHAPTER XXA

ETHICS

Procedure for ethics complaints

233A. (1) Any person or member may make a complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha.

Provided that if a complaint is made by any person, it shall be forwarded by a member.

(2) A complaint shall be made in writing and addressed to the Speaker, who may refer it to the Chairperson, Committee on Ethics, for examination, investigation and report.

(3) The complainant must declare the identity and submit supporting evidence, documentary or otherwise to substantiate the allegations.

(4) It shall be incumbent upon any person who has made the complaint to ensure that the complaint is not false, frivolous or vexatious and is made in good faith. An affidavit to this effect shall accompany the complaint.

In case the complaint is made by a member, it shall be incumbent upon such member to ensure that the complaint is not false, frivolous or vexatious and is made in good faith. An affidavit shall not be required in case the complaint is made by a member.

(5) Every complaint shall be couched in respectful and temperate language.

(6) Every complaint shall be either in Hindi or English. If any complaint in any other Indian language is made, it shall be accompanied by a translation either in Hindi or English and signed by the complainant.

(7) Every complaint made by any person shall be countersigned by the member forwarding the complaint to the Speaker.

(8) The identity of the complainant would be kept secret, if a request to that effect is made by the complainant.

(9) A complaint based merely on unsubstantiated media reports shall not be entertained.

(10) The Committee on Ethics shall not take up any matter which is sub-judice and the decision of the Committee as to whether such matter is or is not sub-judice shall for the purposes of these rules be treated as final.

Power of Speaker to refer a question of ethical and other misconduct to the Committee

233B. Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question involving unethical conduct of a member in Lok Sabha to the Committee on Ethics for examination, investigation and report.

After rule 316, the following new rules under new heading "Committee on Ethics" shall be inserted, namely :-

COMMITTEE ON ETHICS

Constitution

316A. (1) There shall be a Committee on Ethics consisting of not more than fifteen members.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

Functions

316B. The Committee shall:-

(a) examine every complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha referred to it by the Speaker and make such recommendations as it may deem fit.

(b) formulate a Code of Conduct for members and suggest amendments or additions to the Code of Conduct from time to time .

Procedure

316C. (1) On a matter being referred to the Committee, a preliminary inquiry shall be conducted by the Committee.

(2) If the Committee, after a preliminary inquiry, is of the opinion that there is no prima facie case, it may recommend that the matter may be dropped and the Chairperson shall intimate the Speaker accordingly.

(3) If the Committee, after preliminary inquiry, is of the opinion that there is a prima facie case, the Committee shall take up the matter for further examination.

(4) The Committee may lay down procedure, from time to time, for examination of matters referred to it.

Report

316D. (1) The recommendations of the Committee shall be presented in the form of a report.

(2) The report shall be presented to the Speaker who may direct that the report be laid on the Table of the House.

(3) The report of the Committee may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations made by the Committee.

Consideration of report by House

316E. (1) After the report has been presented, the Chairperson or any member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration whereupon the Speaker may put the question to the House.

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration.

(3) After the motion made under sub-rule (1) is agreed to, the Chairperson or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the House agrees, or disagrees or agrees with amendments, with the recommendations contained in the report.

Priority for consideration of report by House

316F. A motion that the report of the Committee be taken into consideration shall be put down in the list of business after disposal of questions.

ANOOP MISHRA, Secretary-General"

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.